न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 546 सन 2020
अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. साधुराम पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 04/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 222/119 की कुल 2.5800हैक्ट में सयुक्त खाते एवं ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 111/114 की कुल 1.4410हैक्ट का वादी अकेला खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का सही नाम मनफुल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी के पिता का नाम मनफुल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर फुलाराम के स्थान पर मनफुल संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाव शामिल मिसल किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 222/119 की कुल 2.5800हैक्ट में सयुक्त खाते एवं ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 111/114 की कुल 1.4410हैक्ट का वादी अकेला खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का सही नाम मनफुल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पिता का नाम मनफुल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वाद वादी स्वीकार / डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ललानावास दिखनादा के खाता संख्या 222 / 119 की कुल 2.5800हैक में सयुक्त खाते एवं ललानावास जैतासरी के खाता संख्या 111 / 114 की कुल 1.4410हैक का वादी अकेला खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मनफुल के स्थान पर फुलाराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मैना पत्नि स्व बलवन्त दर्ज है। तथा ललानावास जैतासरी के नामान्तकरण संख्या 697 में भी वादी के पिता का नाम मनफुल दर्ज किया गया है वादी ने अपने पिता के नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पंचायत ललानावास दिखनादा का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी के पिता का नाम मनफुल होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र / सरपंच ग्राम पचायत के प्रमाण पत्र / पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत ललानावास दिखनादा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानावास दिखनादा के खाता संख्या 222 / 119 की कुल 2.5800हैक एवं ललानावास जैतासरी के खाता संख्या 111 / 114 की कुल 1.4410हैक का वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है के सथान पर मनफुल उर्फ फुलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. साधुराम पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 546 सन 2020 निर्णय दिनांक- 04/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 222/119 की कुल 2.5800हैक्ट एवं ललानाबास जैतासरी के खाता संख्या 111/114 की कुल 1.4410हैक्ट का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है के सथान पर मनफुल उर्फ फुलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner